

अनुदान संख्या 83 - भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 83 - DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted -	2706,20,00	2425,76,17	-280,43,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			278,26,99

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

	Head			
शीर्ष				
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"			
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development			
मू.	O. 229398.00	229776.92	229676.27	-100.65
पु.	R. 378.92			
मुख्य शीर्ष "2506"	Major Head "2506"			
भूमि सुधार	Land Reforms			
मू.	O. 6800.00	824.79	816.13	-8.66
पु.	R. -5975.21			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O. 26992.00	0.21	..	-0.21
पु.	R. -26991.79			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 6610.00	11375.98	11273.75	-102.23
पु.	R. 4765.98			

(I) ₹26992.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) “बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम” -

(क) “एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम” - ₹15322.00 लाख;

(ख) “व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप” - ₹170.00 लाख;

(खा) “भूमि सुधार - अन्य व्यय - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” - ₹1500.00 लाख; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - जलसंभर विकास - राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास कार्यक्रम” - ₹10000.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2501” - “बंजर भूमि विकास” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - व्यावसायिक सहायता और अन्य क्रियाकलाप” - ₹106.06 लाख की बचत (₹1430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम” - ₹16063.36 लाख की बचत (₹42062.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹26992.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under Major Head “2552”- under the following heads:-

(A) “Waste Land Development - National Waste Land Development Programme” -

(a) “Integrated Watershed Management Programme” - ₹15322.00 lakhs;

(b) “Professional Support and Other Activities” - ₹170.00 lakhs;

(B) “Land Reforms - Other Expenditure - National Land Records Modernisation Programme” - ₹1500.00 lakhs; and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Watershed Development - National Waste Land Development Programme” - ₹10000.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2501” - “Waste Land Development” - savings occurred under the following heads:-

(A) “National Waste Land Development Programme - Professional Support and Other Activities”- saving of ₹106.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1430.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States/Union Territories and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Watershed Management Programme”- saving of ₹16063.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42062.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(III) मुख्य शीर्ष “2506” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं: -

(का) “निर्देशन और प्रशासन - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” - ₹5635.81 लाख की बचत (₹6450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और परियोजना प्रबंधक एकक की स्थापना न होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” - ₹348.06 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹82.36 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2501” - “बंजर भूमि विकास” -

(क) “राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम” - ₹8909.16 लाख का अधिक व्यय (₹170334.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम” - ₹7590.12 लाख का अधिक व्यय (₹15492.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम” - ₹1306.50 लाख का अधिक व्यय (₹10.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(III) Under Major Head-“2506”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - National Land Records Modernisation Programme”- saving of ₹5635.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6450.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-establishment of Project Management Unit (PMU).

(B) “Other Expenditure - National Land Records Modernisation Programme”- saving of ₹348.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territory Governments.

(IV) Under one head saving of ₹82.36 lakhs occurred constituting 41 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2501” - “Waste Land Development” -

(a) “National Waste Land Development Programme - Integrated Watershed Management Programme” - excess of ₹8909.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹170334.00 lakhs);

(b) “Tribal Area Sub-Plan - Integrated Watershed Management Programme”- excess of ₹7590.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15492.00 lakhs);

(B) Major Head “3601” - “Grants for Central Plan Schemes” -

(a) “Waste Land Development - National Waste Land Development Programme- Integrated Watershed Management Programme” - excess of ₹1306.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10.00 lakhs); and

(ख) “बंजर भूमि विकास - अन्य अनुदान - व्यावसायिक सहायता और अन्य क्रियाकलाप” - ₹160.51 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ग) “भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” - ₹1396.74 लाख का अधिक व्यय (₹2525.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्यों में एकीकृत कार्रवाई योजना जिलों में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - भूमि सुधार - अन्य अनुदान” - ₹900.00 लाख का अधिक व्यय (₹2475.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ङ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - भूमि सुधार - अन्य अनुदान” - ₹900.00 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कुछ राज्यों में एकीकृत कार्रवाई योजना जिलों में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹72.38 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

(b) “Waste Land Development - Other Grants- Professional Support and Other Activities”- excess of ₹160.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

(c) “Land Reforms - Other Grants - National Land Records Modernisation Programme”- excess of ₹1396.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2525.00 lakhs) was due to requirement of additional fund in Integrated Action Plan Districts in certain States and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Land Reforms – Other Grants”- excess of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2475.00 lakhs); and

(e) “Tribal Area Sub-Plan - Land Reforms – Other Grants” - excess of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds in Integrated Action Plan Districts in certain States.

(II) Under one head excess of ₹72.38 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.